संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट–2210/2018–19/९९६ भोपाल, दिनांक 02/02/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भिण्ड, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, उज्जैन, आगर मालवा, रायसेन, हरदा, मण्डला, छिन्दवाडा, सिवनी, बालाघाट
मध्यप्रदेश ।

विषयः– राज्य बीमारी सहायता निधि 5868– योजनान्तर्गत आगामी 3 माह हेतु बजट आवंटन ।

संदर्भः– संचालनालय का पत्र कमांक/6/बजट/2018–19/988 दिनांक 29.01.2019

:–00–:

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि में वित्त वर्ष 2018–19 के शेष 3 माह (जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक) हेतु बजट आवंटन किया गया था, आपसे प्राप्त जानकारी के आधार पर समीक्षा उपरांत आपको निम्नानुसार राशि व्यय करने हेतु राज्य बीमारी सहायता निधि 5868– योजनान्तर्गत आवंटन प्रदान किया जा रहा है :–

स0 क0	जिले का नाम	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	लेखाशीर्ष	आगामी 3 माह के लिए बजट आवंटन
1	भिण्ड	47	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	2000000
2	सतना	144	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	5000000
3	रीवा	174	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	7000000
4	शहडोल	67	019-2210-03-103-0102-5868-44-008	3000000
5	उमरिया	65		3000000
6	अनूपपुर	82		3500000
7	सिंगरौली	68	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	3000000
8	उज्जैन	202	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	7500000
9	आगर मालवा	60		2500000
10	रायसेन	288		10000000
11	हरदा	83	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	3500000
12	मण्डला	55	019-2210-03-103-0102-5868-44-008	2500000
13	छिन्दवाडा	200	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	6500000
14	सिवनी	96		3500000
15	बालाघाट	97		4500000

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि राज्य बीमारी सहायता निधि योजना 5868 ग्लोबल मद में उपलब्ध है परंतु आपको आवंटित राशि का ही आहरण एवं संबंधित लेखाशीर्ष से ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करे, आवंटित राशि से अधिक राशि का आहरण करने पर उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । यदि उपरोक्त से अधिक राशि की आवश्यकता हो तो औचित्य सहित राज्य बीमारी सहायता शाखा को तत्काल अवगत करावें एवं यदि आपके जिले में एसआईएफ की राशि आवश्यकता से अधिक है, तो उसकी जानकारी भी तत्काल देंवे।

(डॉ. बी.एन. चौहान)
संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

पृ.क्र/6/बजट–2210/2018–19/ 997
भोपाल,दिनांक 02/02/2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यहेतु प्रेषित।

1. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
3. उप संचालक, राज्य बीमारी सहायता निधि, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
4. प्रभारी एमआईएस, विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करें ।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट–2210/2018–19/988 भोपाल, दिनांक 29/01/2019

प्रति,

समस्त,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषयः— राज्य बीमारी सहायता निधि 5868— योजनान्तर्गत आगामी 3 माह हेतु बजट आवंटन ।

संदर्भः— संचालनालय का पत्र क्रमांक/6/बजट/2018–19/941 दिनांक 14.01.2019 ।

:—00—:

विषयांतर्गत राज्य बीमारी सहायता निधि में आवश्यकता अनुसार राशि की जानकारी अद्यतन रूप से राज्य बीमारी सहायता शाखा द्वारा वर्तमान में पुनः प्राप्त की गई । अतः पूर्व में संदर्भित पत्र को निरस्त कर आंशिक संशोधन सहित राज्य बीमारी सहायता निधि अंतर्गत लंबित प्रकरणों के भुगतान करने संबंधी आपके द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक की संचालनालय को उपलब्ध कराई जानकारी के आधार पर वित्त वर्ष 2018–19 के शेष 3 माह (जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक) हेतु आपको निम्नानुसार राशि व्यय करने हेतु राज्य बीमारी सहायता निधि 5868– योजनान्तर्गत आवंटन प्रदान किया जा रहा है :–

स0 क0	जिले का नाम	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	लेखाशीर्ष	आगामी 3 माह के लिए बजट आवंटन
1	मुरैना	100	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	2000000
2	भिण्ड	47	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	0
3	ग्वालियर	151	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	3000000
4	दतिया	73	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	3000000
5	शिवपुरी	98	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	1500000
6	गुना	151	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	2000000
7	श्योपुर	39	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	1000000
8	अशोकनगर	110		5000000
9	टीकमगढ	144		2500000
10	छतरपुर	236		3000000
11	पन्ना	113	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	4000000
12	सागर	653	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	30000000

स0 क0	जिले का नाम	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	लेखाशीर्ष	आगामी 3 माह के लिए बजट आवंटन
13	दमोह	410	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	13000000
14	सतना	144	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	0
15	रीवा	174	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	0
16	शहडोल	67	019-2210-03-103-0102-5868-44-008	0
17	सीधी	92	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	2000000
18	उमरिया	65	019-2210-03-103-0102-5868-44-008	0
19	अनूपपुर	82	019-2210-03-103-0102-5868-44-008	0
20	सिंगरौली	68	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	0
21	मन्दसौर	111	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	5000000
22	रतलाम	128	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	6711990
23	उज्जैन		019-2210-03-103-0103-5868-44-008	0
24	आगर मालवा	60		0
25	शाजापुर	165	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	6000000
26	देवास	278	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	10399500
27	नीमच	47	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	3000000
28	झाबुआ	58	019-2210-03-103-0102-5868-44-008	3000000
29	धार	180		6000000
30	इंदौर	276	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	4000000
31	खरगौन	218	019-2210-03-103-0102-5868-44-008	14000000
32	खण्डवा	124	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	8000000
33	बडवानी	112	019-2210-03-103-0102-5868-44-008	4000000
34	बुरहानपुर	140	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	2000000
35	अलीराजपुर	30	019-2210-03-103-0102-5868-44-008	1000000
36	राजगढ	236	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	15000000
37	विदिशा	400	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	10000000
38	भोपाल	563	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	10000000

स0 क0	जिले का नाम	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	लेखाशीर्ष	आगामी 3 माह के लिए बजट आवंटन
39	सीहोर	463	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	30000000
40	रायसेन	288	019-2210-03-103-0103-5868-44-008	0
41	बैतुल	246	019-2210-03-103-0102-5868-44-008	4500000
42	होशंगाबाद	322	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	3000000
43	हरदा	83		0
44	जबलपुर	603		20000000
45	नरसिंहपुर	310		50000000
46	मण्डला	55	019-2210-03-103-0102-5868-44-008	0
47	छिन्दवाड़ा	200	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	0
48	सिवनी	96		0
49	बालाघाट	97		0
50	कटनी	161	019-2210-03-103-0101-5868-44-008	6000000
51	डिण्डौरी	101	019-2210-03-103-0102-5868-44-008	5000000

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि राज्य बीमारी सहायता निधि योजना 5868 ग्लोबल मद में उपलब्ध है परंतु आपको आवंटित राशि का ही आहरण एवं संबंधित लेखाशीर्ष से ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करे, आवंटित राशि से अधिक राशि का आहरण करने पर उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । यदि उपरोक्त से अधिक राशि की आवश्यकता हो तो औचित्य सहित राज्य बीमारी सहायता शाखा को तत्काल अवगत करावें एवं यदि आपके जिले में एसआईएफ की राशि आवश्यकता से अधिक है, तो उसकी जानकारी भी तत्काल देंवे।

(डॉ. बी.एन. चौहान)
संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

पृ.क्र / 6 / बजट–2210 / 2018–19 / 989 भोपाल,दिनांक 29 / 01 / 2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यहेतु प्रेषित।

1. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
3. उप संचालक, राज्य बीमारी सहायता निधि, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
4. प्रभारी एमआईएस, विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करें ।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट–2210/2018–19/968 भोपाल,दिनांक 17/01/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला – ग्वालियर,
मध्य प्रदेश।

विषय :– न्यायालयीन प्रकरण कमांक 2309/2016 आर.पी. 524/2016 तथा अवमानना प्रकरण कमांक 932/2017 – डॉ0 वाचास्पति शर्मा, सेवानिवृत्तं चिकित्सा अधिकारी को ब्याज राशि के भुगतान के संबंध में।

—000—

विषयांतर्गत लेख हैं कि संचालनालय के आदेश क्रमांक/वित्त/2019/964 दिनांक 16.01.2019 के द्वारा न्यायालयीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 8 प्रतिशत ब्याज राशि रू 1,89,463/– (एक लाख नवासी हजार चार सौ तिरेसठ मात्र) राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी की गई हैं। उक्त राशि लेखाशीर्ष 19–2210–01–001–9999–2283–11–009 द्वारा उक्त राशि आवंटित की जा रही हैं। उक्त न्यायालयीन निर्णय अनुसार म.प्र. शासन, वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 2325/3095/18 दिनांक 22.12.2018 के अनुसार ब्याज भुगतान की सहमति इस शर्त के साथ दी जाती हैं कि न्यायालय आदेश के अनुसार उत्तरदायी शासकीय सेवक से देय ब्याज राशि वसूली की कार्यवाही की जावे।

(Approved by D.H.S)

(डॉ0 राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/6/बजट–2210/2018–19/969 भोपाल,दिनांक 17/01/2019

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2 स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3 अवर सचिव, म.प्र. शासन, वित्त, विभाग मंत्रालय की ओर उनके यू.ओ. क्रमांक 2325/3095/18 दिनांक 22.12.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
4 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं ग्वालियार संभाग ग्वालियर, म.प्र. की ओर लेख हैं कि वसूली की कार्यवाही उत्तरदायी शासकीय सेवक से कर संचालनालय को अवगत करावें।
5 मुख्य चिकित्ससा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर, म.प्र.।
6 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला ग्वालियर, म.प्र.।
7 डॉ0 वाचास्पति शर्मा, सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी, द्वारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भितरवार जिला ग्वालियर, म.प्र.।
8 प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

क्रमांक/वित्त/2019/964 भोपाल, दिनांक 16/01/2019

// आदेश //

डॉ0 वाचास्पति शर्मा, सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारी, जिला ग्वालियर द्वारा चिकित्सा देयक देयक राशि रूपयें 5,29,556/–(पांच लाख उन्नतीस हजार पांच सौ छप्पन) का विलम्ब से हुये भुगतान पर 8 प्रतिशत ब्याज राशि के भुगतान हेतु मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका कमांक 2309/2016, आर.पी. 524/2016 तथा अवमानना प्रकरण कमांक 932/2017 दायर की गई है।

मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा न्यायालीन अवमानना प्रकरण कमांक 932/2017 एवं न्यायालीन प्रकरण कमांक 2309/2016 में दिये गये निर्णय दिनांक 21.10.2016 एवं आर.पी. 524/2016 में दिये गये निर्णय दिनांक 29.11.2016 के पालन में डॉ0 वाचास्पति शर्मा (सेवा निवृत्त) जिला ग्वालियर द्वारा दिये अभ्यावेदन के पालन में चिकित्सा देयक राशि रूपयें 5,29,556/–(पांच लाख उन्नतीस हजार पांच सौ छप्पन) पर 8 प्रतिशत ब्याज राशि रूपयें 1,89,463/–(एक लाख उन्नबे हजार चार सौ त्रेसठ) मात्र ब्याज राशि के भुगतान की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित–

(राजीव सक्सैना)
अपर संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक/वित्त/2019/965 भोपाल, दिनांक 16/01/2019

प्रतिलिपि:–

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
02. स्वास्थ्य आयुक्त, म0प्र0।
03. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय।
04. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर, म0प्र0
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर, म0प्र0
06. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला ग्वालियर, म0प्र0
07. डॉ0 वाचास्पति शर्मा, सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारी, द्वारा ब्लाक मेडिकल आफिसर भितरवार जिला ग्वालियर, म0प्र0
08. प्रभारी एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।

अपर संचालक(वित्त) 9.1.19
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र/6/बजट/2210/2018–19/945 भोपाल,दिनांक 14/01/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला– (1) श्योपुर (2) रतलाम (3) धार (4) अलीराजपुर (5) झाबुआ (6) खरगोन (7) बड़वानी (8) खण्डवा (9) बुराहनपुर (10) बैतूल (11) होशंगाबाद (12) छिन्दवाड़ा (13) सिवनी (14) मण्डला (15) बालाघाट (16) सीधी (17) डिण्डौरी (18) उमरिया (19) शहडोल (20) अनूपपुर (21) जबलपुर (22) सिंगरौली (म.प्र.)

विषयः–संचालनालय आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत थैलेसिमिया एवं सिकिलसेल एनीमिया के बच्चों की हीमोग्लोबीनोपैथी स्क्रीनिंग करने हेतु स्वीकृत राशि आवंटित करने के संबंध में।

संदर्भः–संचालक, आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/अनु. 275(1)/133/2018/2327 दिनांक 29.08.2018

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी की बैठक की कार्यवाही विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत कार्य योजना Haemoglobinpathy Screening by National Health Mission Proposed for GOI राशि स्वीकृत की गई है।

उक्त के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपर्युक्त प्रत्येक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को **लेखाशीर्ष–033–4225–02–102–0802–7881–51–000** के अन्तर्गत राशि रू 20,45000/– आवंटित की जा रही है ।

अतः आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें, एवं संबंधित कार्य योजना Haemoglobinpathy Screening by National Health Mission Proposed for GOI हेतु समस्त निर्देश पृथक से संबंधित शाखा द्वारा जारी किए जायेगें ।

<u>संचालक, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित</u>

(डॉ. राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक, वित्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

पृ. क्र/6/बजट/2210/2018–19/946 भोपाल,दिनांक 14/01/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ ।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 ।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्थानीय कार्यालय।
4. संचालक, संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. प्रभारी, एमआईएस, विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करें ।

अतिरिक्त संचालक, वित्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

D:\FINANCIAL YEAR 2018-19\FA LETTER 2018-19.DOCX 264

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट/2018–19/936 भोपाल,दिनांक 11/01/2019

प्रति,

समस्त
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
अधीक्षक, सिविल अस्पताल
मध्यप्रदेश ।

विषयः-- राज्य बजट मद से "एम.पी.औषधि" साफ्टवेयर के माध्यम से जारी क्रयादेशों का भुगतान हेतु वर्चुअल लिमिट जारी करने बावत्।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र क्रमांक 6/बजट/2017–18/36 दिनांक 18.04.2017 ।

00000

उपरोक्त विषयांर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न योजनांतर्गत **वर्दियॉ 22–006 मद** में उपलब्ध राशि का आवंटन "एम.पी.औषधि" साफ्टवेयर के माध्यम से क्रयादेश जारी किए जाने हेतु आपको वर्चुअल लिमिट जारी की जा रही है । इस वर्चुअल लिमिट के विरूद्व "एम.पी.औषधि" साफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित योजना/मद में आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें ।

वर्चुअल लिमिट का विवरण योजना/मद सेगमेंट वार

	कार्यालय, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पातल अधीक्षक		
स.क.	जिले का नाम	पूर्ण लेखाशीर्ष	वर्चुअल लिमिट राशि (रूपये में)
1	Aagar-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	94500
2	Ashoknagar-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	46600
3	Balaghat-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	28200
4	Bhind-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	194300
5	Burhanpur-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	69300
6	CH Bairagarh	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	75200
7	CH Rani Durgawatui Hospital, Jabalpur	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	79300
8	Chhatarpur-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	190400
9	Chhindwara-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	61500
10	Damoh-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	223300
11	Dewas-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	305800
12	Dr. Shyam P Mukharjee Hospital, Itarsi	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	123100
13	Gwalior-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	70600
14	Hoshangabad-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	89800
15	Indore-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	91000
16	Katni-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	125700
17	Khandwa-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	166100
18	Mandsaur-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	247300
19	Narsinghpur-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	109800
20	Neemuch-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	60100
21	Panna-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	34700
22	Raisen-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	269900
23	Satna-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	261900

	कार्यालय, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पातल अधीक्षक		
स.क.	जिले का नाम	पूर्ण लेखाशीर्ष	वर्चुअल लिमिट राशि (रूपये में)
24	Seoni-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	156800
25	Shajapur-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	104700
26	Sheopur-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	159000
27	Shivpuri-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	295000
28	Sidhi-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	105200
29	Singrouli-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	13000
30	Tikamgarh-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	109100
31	Ujjain-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	584400
32	Vidisha-CS	19-2210-01-196-0101-1473-22-006	210500
33	Anuppur-CS	19-2210-01-196-0102-1473-22-006	83400
34	Badwani-CS	19-2210-01-196-0102-1473-22-006	95300
35	Betul-CS	19-2210-01-196-0102-1473-22-006	73600
36	Dindori-CS	19-2210-01-196-0102-1473-22-006	4100
37	Jhabua-CS	19-2210-01-196-0102-1473-22-006	52000
38	Khargone-CS	19-2210-01-196-0102-1473-22-006	39600
39	Shahdol-CS	19-2210-01-196-0102-1473-22-006	131900
		कुल	**5236000**

अतः सिविल सर्जन एवं सिविल अस्पताल कार्यालय हेतु राशि रू **5236000** का आवंटन पेपर लिमिट के रूप में कार्पोरेशन को दिया जा रहा है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। यह संपूर्ण दायित्व इसी वित्तीय वर्ष में निराकृत किए जाने है ताकि आगामी वित्त वर्ष पर भार ना आये ।

संचालक, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित

(डॉ. राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

पृ. कमांक/6/बजट/2018–19/937 भोपाल,दिनांक 11/01/2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, म0प्र0 ।
3. प्रबंध. संचालक, कार्पोरेशन, भोपाल म0प्र0 ।
4. आहरण संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
5. प्रभारी, एमआईएस, विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु ।

9/1/19

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/6/बजट/2018–19/934 भोपाल,दिनांक 11/01/2019

प्रति,

समस्त
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषयः– राज्य बजट मद से "एम.पी.औषधि" साफ्टवेयर के माध्यम से जारी क्रयादेशों का भुगतान हेतु वर्चुअल लिमिट जारी करने बावत्।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र कमांक 6/बजट/2017–18/36 दिनांक 18.04.2017 ।

00000

उपरोक्त विषयांर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न योजनांतर्गत **वर्दियॉ 22–006 मद** में उपलब्ध राशि का आवंटन "एम.पी.औषधि" साफ्टवेयर के माध्यम से क्रयादेश जारी किए जाने हेतु आपको वर्चुअल लिमिट जारी की जा रही है । इस वर्चुअल लिमिट के विरूद्व "एम.पी.औषधि" साफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित योजना/मद में आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें ।

वर्चुअल लिमिट का विवरण योजना/मद सेगमेंट वार

	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी		
स.क.	जिले का नाम	पूर्ण लेखाशीर्ष	वर्चुअल लिमिट राशि (रूपये में)
1	Aagar-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	99100
2	Ashoknagar-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	120700
3	Balaghat-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	327500
4	Bhind-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	242300
5	Bhopal-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	15300
6	Burhanpur-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	76300
7	Chhatarpur-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	177800
8	Datia-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	183400
9	Guna-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	139400
10	Gwalior-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	243600
11	Harda-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	63800
12	Indore-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	283300
13	Jabalpur-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	163800
14	Katni-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	139500
15	Khandwa-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	189300
16	Mandsaur-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	315000
17	Morena-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	340200
18	Narsinghpur-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	245000
19	Neemuch-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	140100
20	Panna-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	106300
21	Raisen-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	433500
22	Rajgarh-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	318900
23	Ratlam-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	215200
24	Sagar-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	517600
25	Satna-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	662300
26	Seoni-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	259800
27	Sheopur-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	108000
28	Shivpuri-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	232200
29	Sidhi-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	152100
30	Singrouli-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	105300

	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी		
स.क.	जिले का नाम	पूर्ण लेखाशीर्ष	वर्चुअल लिमिट राशि (रूपये में)
31	Tikamgarh-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	235600
32	Ujjain-CMHO	19-2210-03-103-0101-2777-22-006	478800
33	Alirajpur-CMHO	19-2210-03-103-0102-2777-22-006	142400
34	Anuppur-CMHO	19-2210-03-103-0102-2777-22-006	218400
35	Badwani-CMHO	19-2210-03-103-0102-2777-22-006	329000
36	Betul-CMHO	19-2210-03-103-0102-2777-22-006	286800
37	Dhar-CMHO	19-2210-03-103-0102-2777-22-006	350100
38	Dindori-CMHO	19-2210-03-103-0102-2777-22-006	248800
39	Jhabua-CMHO	19-2210-03-103-0102-2777-22-006	328100
40	Khargone-CMHO	19-2210-03-103-0102-2777-22-006	326800
41	Mandla-CMHO	19-2210-03-103-0102-2777-22-006	392700
42	Shahdol-CMHO	19-2210-03-103-0102-2777-22-006	336600
43	Umaria-CMHO	19-2210-03-103-0102-2777-22-006	75400
		कुल	**10366100**

अतः सीएमएचओ कार्यालय हेतु राशि रू **10366100** का आवंटन पेपर लिमिट के रूप में कार्पोरेशन को दिया जा रहा है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। यह संपूर्ण दायित्व इसी वित्तीय वर्ष में निराकृत किए जाने है ताकि आगामी वित्त वर्ष पर भार ना आये।
<u>संचालक, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित</u>

(डॉ. राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

पृ. क्रमांक/46/बजट/2018–19/935 भोपाल,दिनांक 11/01/2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, म0प्र0 ।
3. प्रबंध संचालक, कार्पोरेशन, भोपाल म0प्र0 ।
4. आहरण संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
5. प्रभारी, एमआईएस, विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु ।

9/1/19

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

Virtual Limit Lettter 18-19

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र/6/बजट/2210/2019/923 भोपाल,दिनांक 08 /01/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
3. संचालक,राज्य प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर/राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल।
4. जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
5. प्राचार्य –नर्सिंग कॉलेज– उज्जैन, जबलपुर म.प्र.,।
6. प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र ,जिला–ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश ।
7. अधीक्षक– सिविल अस्पताल बैरागढ, जे.एस.आर इटारसी, रानी दुर्गावती जबलपुर, के.एन.के. भोपाल, टी.बी., अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिन्दवाडा/जबलपुर।
8. आहरण संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।

विषय :– आर सी एवं नॉन आर सी आयटम के लंबितिकरण का निराकरण ।

0000

कार्पोरेशन से प्राप्त दिनांक 31.03.2017 अंत तक एवं नॉन आर.सी. आयटम की वित्तीय वर्ष 2017–18 अंत तक की पेन्डेंसी के निराकरण हेतु पूर्व में निर्देश एवं राशि जारी की गई। कार्पोरेशन से संबंधी वह भुगतान जो आपने पूर्व में किया है या माह दिसम्बर 2018 में दी गई राशि से किया है, दोनो को ही कार्पोरेशन के साफ्टवेयर में अनिवार्य रूप से अंकित करें एवं कार्पोरेशन से इस संबंध में ओ.के. प्रमाण–पत्र लें।

इस कार्य को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से आपकी है। समय–सीमा मात्र 7 दिवस अर्थात दिनांक 16.01.2019 तक इस कार्य को पूर्ण कराकर, आपके लेखापाल से उक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करावें।

<u>संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, द्वारा अनुमोदति</u>

(डॉ0 राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

पृ.क्र/6/बजट/2210/2019/924 भोपाल,दिनांक 08/01/2019

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय ।
3. प्रबंध संचालक, कार्पोरेशन, कृपया आपकी ओर से उचित कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।
3. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें(वित्त) स्थानीय कार्यालय ।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशानार्थ ।
5. प्रभारी एम.आई.एस. विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म0प्र0

8/1/19

D:\FINANCIAL YEAR 2018-19\FA LETTER 2018-19.DOCX 262

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट–2210/2018–19/922 भोपाल, दिनांक 08/01/2019

प्रति,

(1) समस्त,
आहरण एवं संवितरण अधिकारी, मध्यप्रदेश।
(2) प्रभारी M.I.S वेबसाइट पर अपलोड करें।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में मितव्ययता के संबंध में।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का पत्र क्रमांक/1594/आर/चार/ब–7/डीएमसी 2018 दिनांक 28.12.2018।

——000——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु मितव्ययता के निर्देश जारी किये गये है। जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ राजीव सक्सेना)
अपर संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक : 1594/आर. /चार/ब–7/डीएमसी 2018 भोपाल दिनांक 28 दिसम्बर 2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय भोपाल ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में मितव्ययता के संबंध में ।

000

प्रदेश में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं आदि के लिये प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक वित्तीय संसाधनों की सुनिश्चितता तथा लक्षित वित्तीय संकेतकों की सीमा में व्यय रखे जाने को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2018–19 की शेष अवधि के लिये निम्नांकित मदों के अंतर्गत प्रावधानित बजट राशि में से व्यय को पूर्व वर्षो में प्रचलित प्रक्रिया अनुरूप निम्नानुसार नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया है :–

1/– वर्ष 2018–19 की शेष अवधि के लिए निम्नांकित मदों पर प्रतिबंध रहेगा :–

(i) कार्यालयीन उपकरण एवं वाहनों का क्रय ।

(ii) राजस्व विभाग (शासकीय मुद्रणालय) को छोड़कर अन्य विभागों, निगम /मंडलों आदि द्वारा वर्ष 2019 की डायरी/कैलेण्डर का मुद्रण।

2/– वर्ष 2018–19 के लिए निम्नलिखित मदों में भुगतान की सीमा, वर्ष 2018–19 में उपलब्ध आवंटन अथवा वर्ष 2017–18 में हुआ वास्तविक व्यय (इनमें से जो भी कम हो) रहेगी :–

(i) कार्यालय व्यय (उद्देश्य शीर्ष 22)

(ii) व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉ (उद्देश्य शीर्ष 31)

(iii) अनुरक्षण कार्य (उद्देश्य शीर्ष 33)

(iv) सामग्री एवं पूर्तियॉ (उद्देश्य शीर्ष 34)

3/– निम्नांकित क्रय/व्यय उपर्युक्त सरल क्रमांक 2 के प्रतिबंध से मुक्त होंगे :–

(i) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं/केन्द्र सहायतित योजनाएं, पेयजल से संबंधित योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्राप्त केन्द्रीय अनुदान ।

(ii) छात्रावास, आश्रम विद्यालय, अस्पताल, जेल, पशु चिकित्सालय, आंगनवाडी के संचालन हेतु आवश्यक दवाईयों एवं खाद्य सामग्री की पूर्ति संबंधी मद ।

All DDOs
for necessary action

(iii) चिकित्सालयों में उपचार कार्य में आने वाली सामग्री, लिनिन, गॉज, बैण्डेज, पट्टी, रिएजेंट एवं अन्य सामग्री, जो उपचार के उपयोग में लाई जाती है ।

4/– उपर्युक्तानुसार व्यय को नियंत्रित करने हेतु तत्काल कार्यवाही करें ।

28/12/18

(तेजस्वी एस. नायक)
संचालक, बजट,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

पृ0क्रमॉक : 1595/आर. /चार/ब–7/डीएमसी 2018 भोपाल दिनांक 28 दिसम्बर 2018

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचित । प्रश्नाधीन बजट शीर्ष के बजट सीमा को परिपत्र में उल्लेखित सीमा तक सीमित करने का अनुरोध है ।

(रूपेश पठवार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/बजट/2018-19/916 **भोपाल, दिनांक 08/01/2019**

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
3. संचालक,राज्य प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर/राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल।
4. जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
5. प्राचार्य -नर्सिंग कॉलेज- उज्जैन, जबलपुर म.प्र.,।
6. प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र ,जिला-ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश ।
7. अधीक्षक- सिविल अस्पताल बैरागढ, जे.एस.आर इटारसी, रानी दुर्गावती जबलपुर, के.एन.के. भोपाल, टी.बी., अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिन्दवाडा/जबलपुर।
8. आहरण संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।

विषयः-- **महालेखाकार को व्यय आंकड़ों का मिलान बावत् वित्त वर्ष 2018-19 एवं निरंतर ।**

संदर्भः-- संचालनालय पत्र कमांक/6/बजट/2018-19/721 दिनांक 30.10.2018 एवं कमांक/6/बजट/2018/821, दिनांक 13.12.2018

---0---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से पूर्व में आप सभी को महालेखाकार कार्यालय को व्यय आंकड़ों का मिलान कराने संबंधी निर्देश जारी किए गए थे, किंतु निर्देश होने के बावजूद भी महालेखाकार से आंकड़ों का मिलान जिलों द्वारा निरंतर एवं अभी तक नहीं किया गया हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जा रहा है, कि आप अपने कार्यालय के व्यय आंकड़ों के अंक मिलान की कार्यवाही कराकर महालेखाकार से अंक मिलान प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिनांक 20.01.2019 को अनिवार्य रूप से संचालनालय में उपस्थित हो, अन्यथा इस कार्य में कोई शिथिलता न बरती जाए अन्यथा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने की कार्यवाही की जावेगी साथ ही वित्त एवं विनियोग लेखे में अंतर आने पर संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी के कार्यालयों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जायेगी लेखापाल इस दिशा में विशेष ध्यान दे । उपर्युक्त कार्य में संबंधित संभागों के संभागीय मुख्यालय में पदस्थ वित्तीय अनुश्रवण हेतु नामांकित अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित करवायें। वे इस कार्य में कोष एवं लेखा कार्यालय से पदस्थ कनिष्ठ लेखा अधिकारी/विभागीय प्रशासनिक अधिकारी/विभागीय लेखापाल से सहयोग ले सकते हैं।

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म0प्र0

8/1/19

D:\FINANCIAL YEAR 2018-19\FA LETTER 2018-19.DOCX 258

2.........

पृ. क्रमांक 6/बजट/2018–19/917 भोपाल, दिनांक 09/01/2019

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. महालेखाकार कार्यालय, (लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं जिलों/मुख्यालय के दल आने पर उनको मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु निवेदन हैं।
4. स्वास्थ्य आयुक्त, संचानालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
5. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल, म.प्र.।
6. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं, ग्वालियर की ओर भेजकर लेख हैं कि संचालनालय के प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय स्तर पर को–आर्डिनेट करें एवं बजट नियंत्रण अधिकारी की ओर से इस कार्य हेतु कनिष्ठ लेखा अधिकारी श्री जीतेन्द्र मिथोरिया, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर एवं श्रीमती ऊमा किकन सहायक ग्रेड–1 कार्यवाही पूर्ण करायेंगी। संचालनालय के लेखा अधिकारी (बजट) इस दिशा में बजट नियंत्रण अधिकारी की ओर से कार्यवाही पूर्ण करायेंगे।
7. मुख्य अभियंता, स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0 ।
8. प्रभारी, एम.आई.एस., विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट–2210/2018–19/910 भोपाल, दिनांक 07/01/2019

प्रति,

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला– बैतूल।

विषय :– लंबितिकरण की राशि के निराकरण के संबंध में आवंटन बावत्।
संदर्भ :– संचालनालय का पत्र क्रमांक/बजट–2210/2018–19/662 दिनांक 28.09.2018।

––––000––––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम मे सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय संचालक की अनुशांसा के अनुक्रम मे वर्ष 2016–17 के लंबित देयकों के निराकरण हेतु निम्न मदों में राशि का आवंटन उपलब्ध आवंटन के आधार पर पूर्व मे ही जारी किया जा चुका है, जो कि संदर्भित आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश छूट गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

स. क्र.	क्षेत्रीय संचालक का नाम	कार्यालय का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	सेगमेंट कोड	योजना का नाम	उद्देश्य शीर्ष	मांग की राशि (रूपये में)	विमुक्त की जाने वाली राशि (रूपये में)	रिमॉर्क
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	BHOPAL	C.S.BETUL	9510/12-10-17	0102	1473	34-002	7236471	2109745	-
2	BHOPAL	C.S.BETUL	9510/12-10-17	0102	1473	34-004	1983509	800000	-
3	BHOPAL	C.S.BETUL	9510/12-10-17	0102	1473	34-009	5524425	1000000	-

अतः कृपया उक्त लेखाशीर्ष अंतर्गत भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

(संचालक (वित्त), द्वारा अनुमोदित)

(डॉ राजीव सक्सेना)
अपर संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट–2210/2018–19/911 भोपाल,दिनांक 07/01/2019

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
3. प्रभारी, एमआईएस, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

अपर संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

स्मरण पत्र

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/6/बजट–2210/2018–19/908 भोपाल,दिनांक 04/01/19 / ~~12~~ / ~~2018~~

प्रति,

समस्त,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :– आई.ई.सी.मद उद्देश्य–35 विज्ञापन एवं प्रचार मे व्यय करने के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने बावत्।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र कमांक/6/बजट/2018/2018–19/808दिनांक 10.12.2018।

–––000–––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम मे आपको पुनः स्मरण कराया जाता है कि विषयांकित मद मे नियमानुसार भौतिक/वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करें।

(डॉ राजीव सक्सेना)
अपर संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/6/बजट–2210/2018–19/909 भोपाल,दिनांक 04/01/19 / ~~12~~ / ~~2018~~

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें(वित्त), स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
5. प्रभारी, एमआईएस, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

अपर संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश